



HAMIRPUR POLICE



थाना सुमेरपुर

दिनांक 17.09.2022

प्रभावी पैरवी कर पोक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,00,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी गयी-

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनांक 27/05/2015 को थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ०सं० 773/2015 धारा-376(2)(झ) आईपीसी व 06 पोक्सो एक्ट में नामजद अभियुक्त दिग्विजय सिंह उर्फ लल्लू पुत्र गज्जू सिंह निवासी पचखुरा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा धारा 06 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 1,00,000/- रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई गयी।